(ii) Factors such as population pressure, increased irrigation, industrialisation, communication, flood and droughts affecting pattern of landuse in the country should be analysed and a strategy for proper land utilisation suggested.

(iii) The State Land Use Boards under the Chairmanship of Chief Minister in the States/Union Territories should be activised and should coordinate all activities having bearing on landuse, forest, soil and water conservation within the State.

(iv) A time-bound programme of land use survey should be included in the Seventh Five Year Plan.

(v) Culturable waste lands and old fallows should be located and identified for taking suitable action to bring them to more productive land uses.

(vi) The inventory of the existing land resources in the country should be brought up-to-date to enable the Commission to determine proper use of land and soil for both present and future production.

कृषि क्षेत्र में किया गया विशेष कार्य

3603. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की राशि बढ़ाने और उर्वरकों आदि की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए इस वर्ष कोई विशेष कार्य किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान उपरोक्त प्रत्येक मद के अन्तर्गत किए गए विशेष कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि क्षेत्र के लिए ऋण बढ़ाये जाने के विशेष प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय के अनुरोध पर एन०ए०बी०ए०आर०डी० ने सहकारी संस्थानों को अनुमति दे दी है कि वे यदि छोटे और सीमान्त किसानों ने पिछले ऋणों का 10 प्रतिशत तक भाग न भी चुकाया हो तब भी उन्हें नये ऋण दे दिए जाएं। इसी प्रकार, कमान क्षेत्रों के वे किसान जिन्होंने 1500 रुपए तक के ऋण अदा नहीं किए हैं, नये ऋण प्राप्त करने के पात्र बना दिए गए हैं। राज्य सहकारी बैंकों को उनके अपने संसाधनों से उन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्त देने की सलाह दी गई है, जो नाबार्ड से पुनः वित्त लेने के पात्र नहीं हैं। लघु अवधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने के तरीके अपनाकर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए पिछले वर्ष के दौरान 17 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान सहकारी ऋण संस्थानों को 20 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि अधिक ऋण सुलभ किया जा सकेगा।

उर्वरकों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है। उर्वरकों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए उठाये गए अन्य कदम खण्ड मुख्यालयों तक सरकारी खर्च पर उर्वरकों का पहुंचाना, वितरण करने वाली एजेंसियों की वितरण राशि में वृद्धि करना, सरकार द्वारा अल्पावधि ऋण की प्रमात्रा में वृद्धि, उर्वरकों के मूल्य घटाना है।

किसानों को समय पर उर्वरक और अन्य आदान उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पूर्व आदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है।

सिंचाई क्षेत्र में किया गया विशेष कार्य

3604. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस वर्ष सिंचाई क्षेत्र में अधिक पूंजी लगाने के लिए कोई विशेष कार्य किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?